छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त

दिनांक 31 अगस्त, 2017 के अपराह्न 3:00 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन में सम्पन्न हुई **कार्य परिषद की** बैठक की कार्यवाही :–

बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुये :–

1.	**प्रो० जे०वी० वैशम्पायन,** कुलपति, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	अध्यक्ष
2.	**प्रो० आर० सी० कटियार, प्रति–कुलपति** (आचार्य आई.बी.एम.), सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
3.	**प्रो० सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी,** 18/337, इन्द्रा नगर, लखनऊ–226016	सदस्य
4.	**डॉ० (श्रीमती) निरंजना शुक्ला,** संकायाध्यक्ष, कला संकाय, जुहारी देवी गर्ल्स पी०जी० कालेज कानपुर	सदस्या
5.	**प्रो० नन्द लाल,** आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
6.	**डॉ० नीरज कुमार सिंह,** उपाचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
7.	**डॉ० राजेश कुमार,** उपाचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
8.	**डॉ० संदीप कुमार सिंह,** उपाचार्य, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा प्रसार विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
9.	**प्रो० सुभाष चन्द्र अग्रवाल,** शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
10.	**प्रो० संजय कुमार स्वर्णकार,** अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
11.	**डॉ० निरूपमा अशोक,** प्राचार्या, बी.ए.के.पी. कालेज, लखीमपुर–खीरी	सदस्या
12.	**डॉ० वी०के० गुप्ता,** प्राचार्य, वी०एम० डिग्री कालेज, कायमगंज, फर्रूखाबाद	सदस्य
13.	**डॉ० एस०पी० शाक्य,** प्राचार्य, आर०एम०पी० कालेज, सीतापुर	सदस्य
14.	**डॉ० धर्मेन्द्र प्रताप सिंह,** हिन्दी विभाग, वी०जी०एम० पी०जी० कालेज, दिबियापुर, औरैया	सदस्य
15.	**डॉ० के०एम० सचदेवा,** वाणिज्य विभाग, डी०एन०पी०जी० कालेज, फतेहगढ, फर्रूखाबाद	सदस्य
16	**श्री धीरेन्द्र कुमार तिवारी,** वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	—
17.	**श्री राम चन्द्र अवस्थी,** कुलसचिव, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्य परिषद के उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्य परिषद के सदस्य प्रो0 राम गोपाल द्वारा उक्त बैठक को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित ई–मेल पत्र को पढ़ कर सुनाया गया। कार्य परिषद के उपस्थित सदस्यों ने बैठक को संचालित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

मद सं. 1: कार्य परिषद की बैठक दिनांक 15.07.2017 एवं आपात बैठक दिनांक 09.08.2017 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।

परिषद द्वारा सहमति से कार्य परिषद की बैठक दिनांक: 15.07.2017, एवं आपात बैठक दिनांक: 09.08.2017 के कार्यवृत्त एवं कार्यपालन आख्या पर सम्पुष्टि प्रदान की गयी।

मद सं. 2: परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांकः 16.08.2017 की संस्तुति के अनुमोदन पर विचार।

परिषद ने परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 16.08.2017 की कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया।

मद सं. 3: राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र सं0– ई–6462/जी0एस0, दिनांक 24.07.2017 के क्रम में राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत खोज समिति का गठन किये जाने हेतु विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के द्वारा एक सदस्य को नामित किये जाने के सम्बन्ध में

परिषद ने समग्र विचारोपरान्त छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के नव कुलपति के खोज हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत खोज समिति का गठन किये जाने हेतु विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के सदस्य प्रो0 सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी द्वारा प्रो0 रामदेव भारद्वाज, कुलपति, अटल बिहारी वाजपेई हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल का नाम प्रस्तावित किया गया जिनको सर्वसम्मति से खोज समिति का सदस्य नामित किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद सं. 4: विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्याः 1/2017/650/सत्तर–1–2017–16(114)/2010, दिनांक 28.07.2017 के क्रम में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता सम्बन्धी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अन्तर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिए आवश्यक उपायों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2010 के प्राविधानों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में संसूचित किया जाना।

परिषद को संसूचित किया गया जिस पर परिषद ने एक माह पश्चात् आगामी बैठक में पुनर्विचार किये जाने का निर्णय लिया।

मद सं. 5: प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्याः 124/सत्तर–1–2017–16(114)/2010 टी0सी0, दिनांक 08.04.2017 के क्रम में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता सम्बन्धी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अन्तर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिए आवश्यक उपायों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2010 के प्राविधानों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अर्हता नियमन व यू.जी.सी. नियमन 2010 के प्राविधानों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पूर्व में ही चार सदस्यों प्रो0 सुभाष चन्द्र अग्रवाल,

प्रो0 संजय कुमार स्वर्णकार, डॉ0 सुधीर कुमार अवस्थी एवं श्री विनय कुमार सिंह, उपकुलसचिव की समिति गठित की गई है। समिति ने विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय की मांग की। परिषद ने समिति की मांग को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त समय प्रदान किया तथा आगामी बैठक में विस्तृत रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

मद सं. 6: **कमला नेहरू डिग्री कालेज, तेजगॉव रायबरेली के प्रबन्धक द्वारा रू. एक करोड़ के अनुदान के M.O.U. के अनुमोदन पर विचार।**

परिषद ने कमला नेहरू डिग्री कालेज, तेजगॉव रायबरेली के प्रबन्धक श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा रू. एक करोड़ अनुदान से विश्वविद्यालय में ठाकुर रतन पाल सिंह ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण के लिए दोनो पक्षों के मध्य किये जाने वाले M.O.U. को स्वीकृति प्रदान की।

मद सं. 7: **श्रीमती दीप्ती मिश्रा के मातृत्व अवकाश के सम्बन्ध में कार्य परिषद की बैठक दिनांक 15.07.2017 के मद सं.–2 (अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से) में लिए गये निर्णय– श्रीमती दीप्ती मिश्रा के मातृत्व अवकाश वर्ष 2013–14 के प्रकरण पर विचार करते हुये उनके संविदा पर नियुक्ति के क्रम में इस प्रकार के न्यायालय प्रकरण के विश्वविद्यालय प्रचलित नियमों एवं प्रकरणों पर माननीय न्यायालय के विभिन्न सम्बन्धित आदेशों के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के क्रम पर विचार।**

परिषद ने विचारोपरान्त श्रीमती दीप्ती मिश्रा को प्रभावी शासनादेशों के अनुरूप मातृत्व अवकाश प्रदान किये जाने का निर्णय लिया।

मद सं. 8: **फर्रूखाबाद जनपद में स्थित श्री देवेन्द्र सिंह मुन्नीदेवी शिक्षण संस्थान धन्सुआ, रम्पुरा, फतेहगढ़, फर्रूखाबाद के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद के पत्र पर विचार।**

परिषद ने जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद के पत्र जो श्री देवेन्द्र सिंह मुन्नीदेवी शिक्षण संस्थान धन्सुआ, रम्पुरा, फतेहगढ़, फर्रूखाबाद की मान्यता निरस्त करने के संबन्ध में प्रेषित किया, पर विचारोपरान्त महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(8) के अन्तर्गत Disaffiliation Notice निर्गत किये जाने बी.कॉम–पाठ्यक्रम की प्रस्तावित सम्बद्धता को रोकने तथा विश्वविद्यालय स्तर पर प्रचलित अन्य सम्बद्धता कार्यवाही (यदि हो) को स्थगित करते हुये महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त करने की नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य परिषद की बैठक दिनांक 31.08.2017 के अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

मद सं०–1: **रिट याचिका सं0– 65144/2009 डा0 शाश्वत कटियार, रिट याचिका सं.– 65140/2009 डॉ0 राम नरायण, डॉ मनीषी त्रिपाठी रिट याचिका सं0 65138/2009 श्री चन्द्र शेखर कुमार, डॉ0 नेहा शुक्ला, डॉ0 वेणू बन्दन को रिट याचिका सं0 62792/2009 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में विश्वविद्यालय परिसर में संचालित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रम के शिक्षकों को वेतनमान निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में ।**

परिषद ने रिट याचिका संख्या– 65144/2009, रिट याचिका संख्या–65140/2009 एव रिट याचिका संख्या– 65138/2009 के याचिकाकताओं को रिट याचिका संख्या 62792/2009 विशाल चन्द्र बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश के क्रम में परीक्षणोपरान्त यदि समान स्थिति पायी जाय तो विश्वविद्यालय परिसर में संचालित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रम के अन्तर्गत याचिकाकर्ताओं को डॉ विशाल चन्द की तरह वेतनमान में वेतन दिये जाने का निर्णय लिया।

मद सं०–2: **के.के. गर्ल्स डिग्री कालेज, कानपुर की सम्बद्धता वापस करने तथा अध्ययनरत् छात्राओं को अन्य महाविद्यालय में समायोजित किये जाने पर विचार।**

परिषद ने के.के. गर्ल्स डिग्री कालेज, कानपुर को सत्र 2016–17 में प्रथम वर्ष के प्रवेश न लेने के महाविद्यालय के निर्णय को स्वीकार किया। परिषद ने निर्णय लिया कि द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं का नियमानुसार अध्ययन–अध्यापन महाविद्यालय द्वारा कराया जाय।

मद सं०–3: **असित मेमोरियल महाविद्यालय, इटावा की सम्बद्धता वापस करने के सम्बन्ध में ।**

परिषद ने असित मेमोरियल महाविद्यालय, इटावा को सत्र 2016–17 में प्रथम वर्ष के प्रवेश न लेने के महाविद्यालय के निर्णय को स्वीकार किया। परिषद ने निर्णय लिया कि द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं का नियमानुसार अध्ययन–अध्यापन महाविद्यालय द्वारा कराया जाय।

मद सं०–4: **कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत हुई पदोन्नति की अर्हता तिथि निर्धारित किए जाने संबन्धी प्रस्ताव पर विचार।**

डॉ0 राजेश कुमार ने कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत हुई पदोन्नति की अर्हता तिथि निर्धारित किए जाने संबन्धी प्रकरण में समिति के गठन किये जाने हेतु अनुरोध किया, जिस पर कार्य परिषद ने निम्नवत् समिति का गठन किए जाने का निश्चय किया :–

1. प्रो0 नन्द लाल, आचार्य, जीवन विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।
2. डॉ0 एस0पी0 शाक्य, प्राचार्य, आर0एम0पी0 कालेज, सीतापुर।
3. श्री विनय कुमार सिंह, उपकुलसचिव (प्रशा.) सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।

उक्त समिति को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में

अर्हता तिथि निर्धारण किये जाने हेतु विश्वविद्यालय परिनियमों एवं विभिन्न शासनादेशों का अध्ययन करते हुये आख्या आगामी बैठक में उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(प्रो० जे०वी० वैशम्पायन)	(राम चन्द्र अवस्थी)
कुलपति / अध्यक्ष	कुलसचिव / सचिव